न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 145–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.12.12 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 1292/अपील/11–12.

———

जियालाल साहू पुत्र दादू
निवासी ग्राम देवरा तहसील व
जिला सिंगरोली ——— आवेदक

विरूद्ध

1– कौशल प्रसाद पुत्र श्री प्रहलाद साहू
2– कमलेश पुत्र श्री प्रहलाद साहू
3– अनिल कुमार पुत्र श्री प्रहलाद साहू
4– श्रीमती केवलपती पत्नी श्री रामशरण साहू
5– श्रीमती शैल कुमासर पत्नी श्री चोचल साहू
6– श्रीमती मानवती पत्नी श्री कांतीप्रसाद
7– श्रीमती देवजनी पत्नी रामाधार साहू
8– श्रीमती रीता कुमार पत्नी अशोक कुमार
सभी निवासीगण ग्राम सरईझर एवं शक्तिनगर
जिला सिंगरोली म.प्र. एवं दुद्धी ——— अनावेदकगण

———

श्री आर. डी. शर्मा, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री के.के. द्विवेदी, अधिवक्ता, अनावेदकगण ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 04 अगस्त 15 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 1292/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 18–12–12 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि विवादित भूमि के भूमिस्वामी आवेदक के पिता एवं अनावेदकों के नाना दादू थे । दादू की मृत्यु के उपरांत प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक जियालाल एवं पत्नी परवतिया एवं पुत्री पुनाऊ का नामांतरण हुआ था । पुनाऊ

द्वारा अपने पिता से प्राप्त प्रश्नाधीन भूमियों की वसीयत आवेदक के नाम दिनांक 25–11–94 को की गई । वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 25–12–94 को हो गई । वसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरांत आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वसीयत के आधार पर आवेदक का नामांतरण किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 30–7–12 द्वारा स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि मृतक भूमिस्वामी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की वसीयत आवेदक के पक्ष में की गई है । आवेदक वसीयतकर्ता का सगा भाई है । प्रश्नाधीन संपत्ति वसीयतकर्ता की पैत्रिक संपत्ति न होकर वह उसे अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है । भूमि उसके पति से प्राप्त नहीं हुई है । अतः उसे वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए एवं वसीयत को साक्ष्य से प्रमाणित पाए जाने के कारण नामांतरण के आदेश दिए गए हैं । दोनों अपीलीय न्यायालयों ने प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना आदेश पारित किए हैं । अपीलीय न्यायालय में अनावेदक कमांक 5 द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था किंतु उस पर कोई विचार नहीं किया गया ।

यह तर्क दिया गया कि अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को जिन आधारों पर निरस्त किया है वे आधार सही नहीं हैं क्योंकि वसीयत का पंजीकृत होना विधि के अनुसार आवश्यक नहीं है । मूल वसीयत आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जो अभिलेख में संलग्न है । वसीयत किसी को भी की जा सकती है । इस संबंध में उनके द्वारा 2014(1) जेएलजे 199 का न्यायदृष्टांत उद्धरित किया गया है जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – विल – का अधिकार – संपत्ति का स्वामी – उसे स्वाभाविक वारिस को वंचित कर अन्य व्यक्ति के पक्ष में भी विल करने का अधिकार है । माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय ए0आई0आर0 2006 एस.सी. 3282 पर आधारित है । अपर आयुक्त ने बिना प्रकरणों के तथ्य को समझे अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ

न्यायालय के आदेश को निरस्त कर विचारण न्यायालय के आदेश को स्थिर रखने जाने एवं निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4– अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत में इस बात का कोई कारण नहीं दिया गया है कि उत्तराधिकारियों को संपत्ति से क्यों वंचित किया जा रहा है । जिस शपथपत्र का उल्लेख आवेदक अधिवक्ता द्वारा किया गया है वह मात्र एक व्यक्ति द्वारा किया गया है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अपीलीय न्यायालयों के जो आदेश हैं वे उचित और विधिसम्मत हैं जिन्हें स्थिर रखा जाना चाहिए ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया । यह प्रकरण नामांतरण का है प्रश्नाधीन भूमि की भूमिस्वामी मृतक पनाऊ थी जिसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की वसीयत आवेदक के पक्ष में की गई है । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही की गई है । वसीयत के जो साक्षी हैं उनके द्वारा वसीयत को साक्ष्य से सिद्ध किया गया है इसके अतिरिक्त मृतिका पनाऊ के कुछ उत्तराधिकारियों द्वारा आवेदक के पक्ष में सहमति का जबाव पेश किया गया है । उक्त आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरण के आदेश दिए गए हैं । अपीलीय न्यायालयों के आदेशों से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं साक्ष्य की विवेचना उचित प्रकार से नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का मुख्य आधार यह लिया गया है कि वसीयतनामा अपने पुत्रों व पति को छोड़कर आवेदक के पक्ष में किस कारण कराई यह वसीयतनामा से स्पष्ट नहीं हो रहा है एवं वसीयतनामा साक्ष्य के परिशीलन से अप्रमाणित है । अभिलेख को देखने से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अभिलेख पर आधारित नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में में जो भूमि है वह पैत्रिक न होकर मृतक भूमिस्वामिनी को अपने पिता से प्राप्त हुई थी । जहां तक वसीयत का प्रश्न है न्यायदृष्टांत 2014(1) जेएलजे 199 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – विल – का अधिकार – संपत्ति का स्वामी – उसे स्वाभाविक वारिस को वंचित कर अन्य व्यक्ति के पक्ष में भी विल करने का अधिकार है । माननीय उच्च न्यायालय का

निर्णय ए0आई0आर0 2006 एस.सी. 3282 पर आधारित है । अतः इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का जो आदेश है वह विधिसम्मत नहीं है और उसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी अवैधानिकता की गई है इस कारण दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारापारित आदेश दिनांक 18–12–12 अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–7–12 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाते हैं एवं तहसीलदार, सिंगरोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–3–12 स्थिर रखा जाता है एवं निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर